

**उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन**  
**राजकीय.आई.टी.आई. परिसर, अलीगंज, लखनऊ**

पत्रांक- 590/कौ.वि.मि./2021-22

दिनांक: 03 जुलाई, 2021

**कार्यालय-ज्ञाप**

विषय: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन कार्य के लिये असेसमेंट बॉडीज (सेक्टर स्किल काउंसिल्स) के भुगतान हेतु संशोधित लागत का निर्धारण।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या: 718/सी0डी0ए0सी0/कौ0वि0मि0/2014 दिनांक 10 सितम्बर, 2014 द्वारा एनएसक्यूएफ आधारित क्यूपी-नॉस कोर्सेस के प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण (Assessment and certification) के लिये मूल्यांकनकर्ता एजेन्सीज को भुगतान की जाने वाली मूल्यांकन लागत (Assessment cost) का निर्धारण किया गया था।

2. उक्त दरों को संशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में भी एनएसक्यूएफ संरेखित क्यूपीनॉस पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन हेतु निम्न दरें निर्धारित की जाती हैं :-

- i. वित्तीय वर्ष 2019-2020 से (अर्थात् वर्ष 2019-20 एवं अग्रेतर वर्षों के लक्ष्यों के सापेक्ष निर्मित बैच) सैक्टर स्किल काउंसिल्स को शार्टटर्म ट्रेनिंग के सन्दर्भ में प्रति प्रशिक्षणार्थी मूल्यांकन व प्रमाणीकरण लागत का भुगतान निम्न मैट्रिक्स के अनुसार किया जाएगा:-

STT and Special Project				
NSQF Level	Common Norms Category	I	II	III
10	Senior Level/Specialized, Executive level	Rs. 1500	Rs. 1250	Rs. 1000
9				
8				
7	Mid-Level/Administrative Employment	Rs. 1300	Rs. 1100	Rs. 900
6				
5				
4	Entry level/Operational Employment	Rs. 1200	Rs. 1000	Rs. 800
3				
2	Pre-employment (For Schools)/Non-Organizational	Rs. 700	Rs. 600	Rs. 500
1				

- ii. वित्तीय वर्ष 2019-20 से पूर्ववर्ती वर्षों (अर्थात् वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-2019 के लक्ष्यों के सापेक्ष निर्मित बैच हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण हेतु पूर्व कार्यालयादेश संख्या- 718/सी0डी0ए0सी0/कौ0वि0मि0/2014 दिनांक 10 सितम्बर, 2014 द्वारा निर्धारित निम्न दरें ही प्रभावी होंगी:-

- मैन्यूफैक्चरिंग सैक्टर से सम्बन्धित पाठ्क्रमों हेतु - रू0 1,500=00
  - नॉन मैन्यूफैक्चरिंग सैक्टर से सम्बन्धित पाठ्क्रमों हेतु- रू0 1,000=00
3. सैक्टर स्किल काउंसिल्स को मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण हेतु कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा, उनके द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत इनवायस के आधार पर ही भुगतान देय होगा।
4. सैक्टर स्किल काउंसिल्स को मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित धनराशि का भुगतान निम्नलिखित दायित्वों के वहन किये जाने के पश्चात् ही देय होगा, जिस आशय का प्रमाण-पत्र इनवायस के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा:-
- Assessment of Batches: Deployment of Assessor on request of the training providers on portal.
  - Assessors are supposed to verify:
    - Data of candidates as per MIS.
    - Trainers credentials including certificates of ToT etc.
    - Attendance of candidates.
  - Preparation of Assessment modules
  - Ensuring evaluation of the trainees complying with the minimum threshold of attendance.
  - Uploading of Result on the portal.
  - Issuance of certificates to the successful candidates.


उक्त आदेश सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी किये जा रहे हैं तथा इनके परिणामस्वरूप पूर्व संदर्भित कार्यालय ज्ञाप संख्या- 718/सी0डी0ए0सी0/कौ0वि0मि0/2014 दिनांक 10 सितम्बर, 2014 तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

(कुणाल सिल्कू)  
मिशन निदेशक  
तददिनांकित।

पत्रांक- 590 /कौ.वि.मि./2021-22

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
5. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन।
6. समस्त जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अनुबंधित प्रशिक्षण प्रदाता, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
8. समस्त सैक्टर स्किल काउंसिल्स।
9. प्रबंधन (आईटी) को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाइल।

  
3/7/21  
(कुणाल सिल्कू)  
मिशन निदेशक